

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] No. 99] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2001/चैत्र 27, 1923 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2001/CHAITRA 27, 1923

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2001

फा. सं. 108-4/98-टी आर ए आई (टैक).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम सं० 24) की धारा 11 की उपधारा 1 के खंड (बी) के उप—खंड (v) के साथ पठित, धारा 36 की उपधारा 1 के अंतर्गत, स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ' उपभोक्ता संगठनों /गैर—सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के पंजीकरण, और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, याने ' दूाई' के साथ उनके पारस्परिक कार्यकलापों हेतु मार्गदर्शन विनियम, 2001' में, जिसे अब आगे मुख्य विनियम कहा जाएगा, संशोधन करते हुए, ' ट्राई' एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

" उपभोक्ता संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के पंजीकरण, और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण याने 'ट्राई ' के साथ उनके पारस्परिक कार्यकलापों हेतु मार्गदर्शन विनियम (प्रथम संशोधन) 2001'

(2001 का कमांक 3)

- 1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
 - (i) यह विनियम " उपभोक्ता संगठनों /गैर —सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के पंजीकरण, और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण याने ' ट्राई' के साथ उनके पारस्परिक कार्यकलापों हेतु मार्गदर्शन विनियम (प्रथम संशोधन) 2001" के नाम से जाना जाएगा ।
 - (ii) यह विनियम, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
- 2. मुख्य विनियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:
 - (क) पहले पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति में, ' भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:
 - " भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 (1997 का अधिनियम सं0 24)
 - (ख) मुख्य विनियम के 1 (iii)(क) में :--'सम्पूर्ण' शब्द को मिटा दिया जाएगा ।
 - (ग) मुख्य विनियम के 2 (i) में :-

' सोसाइटी अधिनियम या कंपनी अधिनियम' शब्दों के स्थान पर ये शब्द रखे जाएंगे :— "सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम सं0 XXI) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं0 1) की धारा 25 या उस समय लागू किसी अन्य कानून"

(घ) मुख्य विनियम के 2 (i) में :--

'एम आर टी पी सी (MRTPC) और बी आई एस (BIS)' शब्दों के स्थान पर ये शब्द रखे जाएंगे:-

" एम आर टी पी सी (MRTPC) अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2 के खंड (एन) की व्याख्यानुसार 'भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ' या 'पंजीकृत उपभोक्ता संघ ' के रूप में मान्यता प्राप्त " (इ) मुख्य विनियम के 2 (iii) में, वर्तमान वाक्य के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :--

" कम से कम तीन वर्ष के अनुभव की गणना के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की घारा 25 के या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत, पंजीकरण की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा।"

(च) मुख्य विनियम के 4 (vi) में, निम्नलिखित शब्दों को मिटा दिया जाएगा :-

" जिसके वर्तमान पदधारी श्री मैथ्यू पालामट्टम हैं ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

ये संशोधन, मुख्य विनियम में कुछ मुद्दों के स्पष्टीकरण के लिए, और कुछ संदेह दूर करने के लिए किए जा रहे हैं।

वाई. के. गेहा, सलाहकार (ए एंड एल) [विज्ञापन/3/4/142/2 के]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2001

F. No. 108-4/98-TRAI(Tech.).— In exercise of the powers conferred upon it under subsection 1 of section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) of sub-section 1 of section 11 of Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (Act No. 24 of 1997) as amended by Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2000, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby make the following Regulations by amendments in "Regulation on Guidelines for Registration of Consumer Organizations/Non-Government Organizations (NGOs) and their Interaction with TRAI, 2001" hereinafter called as Principal Regulation, namely:-

"REGULATION ON GUIDELINES FOR REGISTRATION OF CONSUMER ORGANIZATIONS/NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS (NGOS) AND THEIR INTERACTION WITH TRAI (FIRST AMENDMENT) 2001"

(3 of 2001)

- 1. Short title, extent and commencement:
- (i) This Regulation shall be called "Regulation on Guidelines for Registration of Consumer Organizations/Non-Government Organizations (NGOs) and their Interaction with TRAI (First Amendment) 2001"
- (ii) The Regulation shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

- 2. The Principal Regulation, 2001 shall be amended as under:-
- (a) In the 3rd line of first paragraph the word "TRAI" be substituted by the following:

 "The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (Act No.24 of 1997) as amended by Telecom Regulatory Authority of India"
- (b) In the Principal Regulation 1 (iii)(a):- The word "throughout" in second line, be substituted by the word "in"
- (c) In the Principal Regulation 2(i):- The words "Societies Act or Companies Act" be substituted by the words "Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) or Section 25 of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) or any other law for the time being in force".
- (d) In the Principal Regulation, the words "MRTPC and BIS" in the 3rd line of Regulation 2(i) be substituted by the words "Bureau of Indian Standards or recognized as "registered consumers' associations" in terms of clause (n) of section 2 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969)"
- (e) In the Principal Regulation 2 (iii): After the word "Consumers" the following be added -

"For the purpose of reckoning the experience of minimum three years, the date of registration under section 25 of the Companies Act, 1956 or under the Societies Registration Act, 1860 or any other law for the time being in force shall be taken into consideration".

(f) In the Principal Regulation 4 (vi): The following words in the last sentence in sub paragraph (vi) be deleted:

"Shri Mathew Palamattam, present incumbent"

Explanatory Memorandum

The amendments are being notified to remove certain ambiguities and clarify certain matters in the Principal Regulation.

Y. K. GAIHA, Advisor (A&L)
[ADVT./III/IV/142/2K]